मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः24.02.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत तथा 'मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0' के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गयी 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 2000/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा जनपद में चिह्नित महिलाओं/बालिकाओं सम्बन्धित अपराधों सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना जमालपुर पर नाबालिग के साथ छेड़खानी करने सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 2000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः27.09.2016 को थाना जमालपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की नाबालिग बहन के साथ शौच हेतु जाते समय छेड़खानी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0-951/2016 धारा 354क,354ख भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत तथा महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0" के क्रम में नाबालिग के साथ छेड़खानी सम्बन्धित उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना जमालपुर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी सुनीता गुप्ता, विवेचक-उपनिरीक्षक शम्भूनाथ यादव, पैरोकार-मुख्य आरक्षी शिवमुनी यादव तथा कोर्ट मुहर्रिर महिला मुख्य आरक्षी सुमन कुमारी व आरक्षी आनन्द सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर-सुरेन्द्र कुमार राय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध अभियुक्त को अंतर्गत धारा 354(क) भादवि सपठित धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व 354ख भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 2000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

शेखर पुत्र नरसिंह निवासी जमालपुर थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।